न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेशचंद जैन, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 138 / 2017

RCMS No. 2017/00520

प्रार्थी:– **बनाम** **अप्रार्थीगण:–**

1. महेन्द्रसिंह पुत्र अजेतींगजी
2. रमेश कुमार पुत्र अजेतींगजी, जाति राजपुरोहित, निवासी बसंत, तहसील रायपुर, जिला पाली

1. जुहारसिंह पुत्र अजेतींगजी
2. जबरसिंह पुत्र अजेतींगजी राजपुरोहित, निवासीगण बसन्त तहसील सुमेरपुर, जिला पाली
3. ग्राम पंचायत बंसत जरिये सुमेरपुर, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक:– 11-2-20

यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बसंत पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 12.09.2013 के विरूद्व उक्त प्रस्ताव को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 चारो सगे भाई है। तथा अजेतींग जी के पुत्र है जिनमें प्रार्थीगण दोनो छोटे भाई है उक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण चारों का एक पुश्तैनी परिसर ग्राम बसंत मे वार्ड संख्या 07 इन्द्रा कॉलोनी में स्थित है जिसकी लम्बाई 95 फिट व चौडाई 95 फिट है जिसके दक्षिण तरफ का आधा परिसर निगरानी की विषय वस्तु है जो विकसित भूमि है। उक्त परिसर का विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के जीवन काल में ही कर दिया था जिसमें मध्य में 10–12 फिट चौड़ा रास्त देकर दो भाग कर दिये थे जिसमें दक्षिणी भाग में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मकान बने हुए है जो सभी 22–22 फिट चोड़े है तथा 45 फिट लम्बे है जिने उत्तर की तरफ गली है तथा गली के उत्तर की तरफ उक्त भूखण्ड की शेष भूमि स्थित है। वकील प्रार्थीगण के अनुसार ग्राम पंचायत बसंत के प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 12.09.2013 पारित किया कि जुहार सिंह पुत्र अजेतींगजी जाति राजपुरोहित निवासी बंसत वार्ड संख्या 07 इन्द्रा कॉलोनी स्वंय का मकान बनाया हुआ जिसमे परिवार सहित रहते है इस मकान का स्वामित्व प्रमाण देवें जो निम्न पडोसी के बीच में है। पुर्व में बेरीलाल कानजी का मकान, पश्चिम मे बंसत से कोशेलाव जाने वाली सड़क, उत्तर में गली 12 फिट दक्षिण में नाडियावा का जाव है। जिसकी लम्बाई 95 फिट चौडाई 53 फिट है के सम्बंध में ग्राम पंचायत बसंत द्वारा जैर निगरानी प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

जिला कलेक्टर, पाली

उक्त प्रस्ताव से संदर्भ में ही स्वामित्व प्रमाण पत्र अप्रार्थीगण संख्या 01 के हक में जारी किया गया जबकि जैर निगरानी आराजी में जो मकान बना है वह अजेतींग पुत्र गोपाल बंसत के नाम का है जिसका जेवीवीएनएल लि0 का बिल पत्रावली सलंग्न है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड एवं मकान अजेतींग जी के तथा उनकी मृत्युपर्यन्त उसके उनके चारो पुत्र प्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा अप्रार्थी संया 01 व 02 चारो के मकान बने हुए है जो पुश्तैनी सम्पती होने व मकान निर्मित होने के कारण उनके हक अनुसार बाद मौका निरीक्षण कर पंचायत नियमें में विहित प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा सभी वारिसान का बनाया जाना चाहिए था ऐसा न कर पंचायत द्वारा मात्र अप्रार्थी संख्या 01 जुहारसिंह पुत्र अजेतींग जी राजपुरोहित निवासी बसंत तहसील सुमेरपुर के नाम का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया जिसके आधार पर अप्रार्थी जुहार सिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के सामने स्थित भूखण्ड को मोहनसिंह पुत्र लालजी को पंजीबद्ध विक्रय कर दिया है। जिसके संबध में इसी न्यायालय में एक अन्य निगरानी पेश की हुई है।

पंचायत नियमों में इस प्रकार के हक संबधी स्वमित्व प्रमाण पत्र को न तो परिभाषित किया गया है। व न ही प्रवधानित किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र एक वैधानिक प्रमाण पत्र नही होने से शुन्य दस्तावेज होने से खारिज फरमाया जावें। अपने तर्को की ताईद में वकील प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2010(4) डब्ल्यु.एल.एन. 105 (राज.) राज हाईकोर्ड भी पेश किया। अप्रार्थीगण के कोई भी उपस्थित नही आया बार–बार आवाजें लगाने पर भी अप्रार्थी की ओर से असालतन या वकालतन कोई उपस्थित नही रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा होता है जिसके अनुसार पंचायत राज अधिनियम 1994 अथवा पंचायत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के हक संम्बधी प्रमाण पत्रों को परिभाषित व प्रावधानित नही किया गया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 12.09.2013 पारित कर उसकी पालना में जो स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो वह विधि सम्मत नही है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बसंत, तहसील सुमेरपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 13 पारित दिनांक 12.09.2013 को तथा उसकी पालना में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।

(दिनेशचंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली